

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : 1204 / 2024
रमेश बनाम कौशल्या

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	आदेश की पालना का संक्षिप्त नोट
	<p style="text-align: center;">राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026</p> <p style="text-align: center;">बैंच संख्या- III</p> <p style="text-align: center;">अध्यक्ष – श्री विकास मारग सदस्य – सुश्री कला आर्य</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>दिनांक 14.03.2026</p> <p>पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच संख्या III में पेश हुई। पक्षकारान के मध्य पूर्व समझाईश के कारण परिवादी रमेश ने दिनांक 20.01.2026 को कार्यवाही ड्रॉप करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया तथा जाहिर किया कि प्रकरण में परिवादी रमेश व अभियुक्त श्रीमती कौशल्या के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इसलिए उक्त प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता।</p> <p>अतः परिवादी द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने के कारण अभियुक्त को धारा 138 एन आई एक्ट के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अब कोई कार्यवाही शेष न रहने से पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। सांख्यिकी दृष्टि से पत्रावली आज सी.आई.एस. में फ़ैसल कर आदेश अपलोड किया जावे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14.03.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत</p> <p style="text-align: center;">अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत</p>	